भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2471

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

22 फाल्गुन, 1947 (शक)

एआई के सतत और उत्तरदायित्वपूर्ण विकास को बढ़ावा

2471. श्रीमती संगीता यादवः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सतत और उत्तरदायित्वपूर्ण विकास को बढ़ावा दे रही है;
(ख) क्या ऊर्जा-दक्ष एआई मॉडल और कंप्यूटिंग पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश या अध्ययन किए जा रहे हैं;
(ग) क्या उद्योग, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को इस संबंध में, साथ ही महिलाओं के खिलाफ एआई के दुरुपयोग के बारे में जागरूक किया जा रहा है;
(घ) क्या ऐसी पहलें राष्ट्रीय डिजिटल कार्यक्रमों का हिस्सा हैं; और
(ङ) ये उपाय समावेशी तथा विश्वसनीय डिजिटल विकास को किस प्रकार समर्थन प्रदान करते हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ): माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार प्रौद्योगिकी को सभी के लिए सुलभ बना रही है। प्रौद्योगिकी को सभी के लिए सुलभ बनाने, एआई को वास्तविक दुनिया की जरूरतों के साथ संरेखित करने और सभी क्षेत्रों में जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।**

सरकार देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सतत, सुरक्षित और जिम्मेदार विकास और नियोजन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा अनुमोदित इंडियाएआई मिशन, जिम्मेदार नवाचार, ऊर्जा-कुशल कंप्यूटिंग पद्धतियों और समावेशी डिजिटल विकास को सुनिश्चित करते हुए भारत में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।

भारत एआई शासन दिशानिर्देश

इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी विकास और नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करते हैं।

ये दिशानिर्देश मानव-केंद्रित एआई विकास पर जोर देते हैं और एक व्यापक शासन ढांचा प्रदान करते हैं।

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026

भारत ने नई दिल्ली में 16-21 फरवरी 2026 तक भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी की। पहली बार, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन श्रृंखला ग्लोबल साउथ में हुई। यह बदलाव एक अधिक समावेशी वैश्विक एआई संवाद की ओर एक व्यापक कदम का संकेत देता है।

शिखर सम्मेलन के दौरान, चर्चा सात विषयगत "चक्रों" के इर्द-गिर्द घूमती रही: मानव पूंजी, समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, लचीलापन, नवाचार और दक्षता, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, और आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई।

सुरक्षित और विश्वसनीय एआई कार्य समूह ने एआई गवर्नेंस पर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया, जो नवाचार, सुरक्षा और सार्वजनिक हित को संतुलित करते हुए राष्ट्रीय एआई शासन प्रणालियों को डिजाइन या मजबूत करने में सरकारों की सहायता करने के लिए एक लचीले और गैर-निर्देशात्मक संदर्भ ढांचे के रूप में कार्य करता है।

कार्य समूह ने विश्व स्तर पर सुलभ विश्वसनीय एआई कॉमन्स के लिए एक रूपरेखा भी पेश की, जो एआई सुरक्षा, परीक्षण और मूल्यांकन के लिए खुले उपकरण प्रदान करने वाला एक सहयोगी मंच है, विशेष रूप से क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने और तकनीकी सहायता के माध्यम से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करता है।

लचीलापन, नवाचार और दक्षता कार्य समूह ने इस बात पर जोर दिया कि दीर्घकालिक लचीलापन, समावेशन और सतत तकनीकी विकास के लिए कुशल एआई सिस्टम आवश्यक हैं। इसने दो आउटपुट जारी किए: लचीले, कुशल और अभिनव एआई पर स्वैच्छिक मार्गदर्शक सिद्धांत और लचीले एआई बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेबुक।

सरकार ने समय-समय पर गलत सूचना और डीपफेक की पहचान करने और उन्हें निर्धारित समय के भीतर हटाने के लिए सलाह जारी की है। गलत सूचना, डीपफेक और ऑनलाइन नुकसान जैसे उभरते जोखिमों को दूर करने के लिए, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत अपेक्षित सावधानी संबंधित ढांचे को मजबूत किया है, जिसमें कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) देश में महिलाओं को एआई साक्षरता से लैस करने के उद्देश्य से मई, 2025 से "यशोदा एआई" शीर्षक से महिलाओं के लिए एआई साक्षरता कार्यक्रम चला रहा है। इसका उद्देश्य डिजिटल समावेशन को बढ़ाना और उन्हें साइबर सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता और सुरक्षित ऑनलाइन पद्धतियों के क्षेत्रों में सशक्त बनाना है।

इस कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण और अर्ध-शहरी स्थानों की लगभग 2500 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्य, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, सूक्ष्म उद्यमी, संकाय सदस्य और छात्र, पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी आदि शामिल हैं।

ये उपाय पहुंच और आश्वासन दोनों को ध्यान में रखते हुए समावेशी और भरोसेमंद डिजिटल विकास को बढ़ावा देते हैं: क्षमता निर्माण के माध्यम से डिजिटल समावेशन और सुरक्षा और शासन ढांचे के माध्यम से डिजिटल विश्वास।

यह संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भारत में एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का विस्तार समाज के सभी वर्गों के लिए जिम्मेदार, सुरक्षित और सुलभ बना रहे।
